बिहार सरकार

विधि विभाग

।। कार्यालय आदेश ।।

का0आ0सं0-बी0/स्था0(विविध)-20-26/2012-135/जे0, पटना, दिनांक 19.09.12

वित्त विभागीय संकल्प सं0 को0प्र0/स्था0 19/2011-10563वि0 दिनांक 24.11.2011 के आलोक में विधि विभाग के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ट का गठन किया गया जाता है।

2. वित्त विभाग के उक्त संकल्प में विहित प्रावधान के आलोक में उक्त प्रकोष्ठ निम्न कार्यों का संपादन करेगा :-

(i) वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार के निर्धारित दायित्वों का संपादन।

(ii) विभाग के बजट उपबंध का उपशीर्षवार ससमय CTMIS में प्रविष्ट, खर्च तथा प्राप्ति का नियमित पर्यवेक्षण।

(iii) महालेखाकार से मासिक विभागीय लेखा मिलान में विभाग के सक्षम पदाधिकारी को सहयोग।

(iv) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति एवं वित्त अंकेक्षण के प्रतिवेदनों के अनुपालन का समन्वय।

(v) वित्त विभाग द्वारा समय समय पर इन विषयों पर निर्गत किये जाने वाले आदेशों का अनुपालन।

3. आंतरिक वित्तीय सलाहकार के कार्यों एवं भूमिका संबंधी विस्तृत अनुदेश समय समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत किया जायगा।

4. आंतरिक वित्तीय सलाहकार का पदस्थापन वित्त विभाग की सहमति से स्वतंत्र प्रभार में होगा।

5. आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ के कार्य संबंधी प्रतिवेदन सीधे प्रधान सचिव, वित्त विभाग को भेजेंगे।

6. आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं उनके प्रकोष्ठ के कर्मी विधि विभाग के नियंत्रण में रहेगें और आंतरिक वित्तीय सलाहकार का Second Reporting आयुक्त लेखा प्रशासन, वित्त विभाग को होगा।

7. विधि विभाग में सहायकों के कुल स्वीकृत बल 34 के विरूद्ध मात्र 10 सहायक कार्यरत है। ऐसी स्थिति में आंतरिक व्यवस्था के तहत संकल्प में विहित प्रावधान के अनुसार उक्त प्रकोष्ठ में श्री मो0 नौशाद अहमद, सहायक एवं श्री विद्यानंद सिन्हा, द्वितीय सहायक विधि विभाग को पदस्थापित करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराये जाने तथा CTMIS की Connectivity के लिए प्रबंधक (प्रशासन) बिहार स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेन्ट का0 लि0, बेलट्रान भवन से अनुरोध अलग से किया गया है।

(कृ0पृ0उ0)

9. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-............................../जे0, पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग को उनके अर्द्धसरकारी पत्र सं0 9839/22 दिनांक 13.09.12 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-..........7039................../जे0, पटना, दिनांक 20/09/12

प्रतिलिपि: सभी विभागीय पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) तथा सभी सहायकों एवं कर्मचारियों एवं विधि सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/12

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

20/9/12